

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती आशा बनाम अर्पखल (कौर)

मुकदमा प्र-पत्र 111-128 नं० 11 सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर त तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.3.22 को
पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

24/2 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित,
अप्रार्थनापत्र के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए जिले शा. पं. किये गये। तदुत्तर में मोडव
से मां का विपक्ष प्राप्त हुई जिले शा. पं. किया
गया। अप्रार्थनापत्र के कितनी मते वा आवापे जिलापी
जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकल्प एड
वरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता
है। वकील प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शांति पत्रावली किया
गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम
हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

हीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर ए एस

मा संख्या - 11/2022 पी.एम

श्रीमती आशा पति श्री लक्ष्मण लाल सुवामभा निमीम कारवेडा का मांडल वर्ग 0

-प्रार्थी

बनाम

श्री अंबरलाल 0/0 श्री हीरामल 0/0 निमीम कारवेडा तम्मांडल वर्ग 0

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29.03.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निमीम कारवेडा पटवार हल्का 0/0 तम्मांडल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 538 कुल कित्ता 0.7587 हे. रकबा 0.7587 हे. विस्था बिस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06/11/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम निमीम कारवेडा पटवार हल्का 0/0 तम्मांडल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 538 रकबा 0.7587 हे. कुल कित्ता 0.7587 हे. रकबा 0.7587 हे. बिस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मांडल को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथारिश्तते को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा